NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-12-2024

विषय सूची

15वीं भारत-UAE संयुक्त आयोग बैठक (JCM)

लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

ई-कोर्ट्स/न्यायलय (eCourts) मिशन मोड परियोजना

आंतरिक नीतिगत बाधाएँ चीन-प्लस-वन (China-Plus-One) अवसर का लाभ उठाने में बाधा बन रही हैं

हीमोफीलिया के लिए समाधान प्रदान करने वाली नवीन जीन थेरेपी

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

संक्षिप्त समाचार

निर्देशक की कमीशनिंग/जलावतरण

EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क

समुद्री संसाधनों पर मछुआरों के अधिकार

राजमार्ग साथी

दुर्गाडी किला (Durgadi Fort)

आर्कटिक में पहला बर्फ रहित दिन: अध्ययन

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

स्पोर्ट्सवाशिंग (Sportswashing)

15वीं भारत-UAE संयुक्त आयोग बैठक (JCM)

सन्दर्भ

- विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके UAE समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने 15वीं भारत-UAE संयुक्त आयोग बैठक (JCM) की सह-अध्यक्षता की।

परिचय

- अमीरात ध्रुवीय मिशन संचालन समिति, संयुक्त अरब अमीरात और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), भारत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  - यह समझौता ध्रुवीय परिचालन, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।
- अबू धाबी में IIT-दिल्ली परिसर के उद्घाटन के बाद, दोनों पक्षों ने IIM-अहमदाबाद और दुबई में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के विदेशी परिसरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की।
- दोनों पक्षों ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) और मैत्री इंटरफेस जैसे नए तकनीकी प्लेटफार्मों पर भी चर्चा की, जिन्हें कागज रहित लेनदेन को सक्षम करके व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंध

- **राजनीतिक:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और UAE वर्तमान में कई बहुपक्षीय प्लेटफार्मों जैसे I2U2 (भारत-इज़राइल-UAE-USA) और UFI(UAE-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय आदि का हिस्सा हैं।
  - G-20 शिखर सम्मेलन में UAE को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया
- **आर्थिक और वाणिज्यिक:** भारत-UAE व्यापार 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे UAE वर्ष 2021-22 के लिए चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
  - वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (अमेरिका के बाद) है।
  - व्यापार संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - निवेशक सुरक्षा प्रदान करके द्विपक्षीय निवेशों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **रक्षा सहयोग:** इसे मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके तहत 2003 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2004 में प्रभावी हुआ।
  - डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 सैन्य सहयोग में एक माइलस्टोन सिद्ध होगा।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एवं संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** लगभग 3.89 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की जनसँख्या का लगभग 35 प्रतिशत है।

आगे की राह

- दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करते हैं और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में सहयोग तथा रणनीतिक भंडारों में आपसी निवेश की संभावनाएँ खोज रहे हैं।
- वे रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, परमाणु ऊर्जा, ध्रुवीय अनुसंधान, महत्वपूर्ण खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- भारत-UAE संबंधों में वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं, जो दोनों देशों के आर्थिक विविधीकरण और सतत विकास के लक्ष्यों से प्रेरित हैं।
- एक-दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाकर, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों में, वे एक सुदृढ़ साझेदारी बना सकते हैं।

Source: FE

लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया

सन्दर्भ

- लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया।

विधेयक के मुख्य उद्देश्य

- **विधिक ढांचे का सरलीकरण:** भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 के साथ विलय किया गया।
- **रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन:** यह विधेयक रेलवे बोर्ड को विधिक मंजूरी प्रदान करने के लिए रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करता है।
    - वैधानिक शक्तियों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
- **शक्तियों का विकेंद्रीकरण:** रेलवे जोनों को बजट, बुनियादी ढांचे और भर्ती का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है।
- **स्वतंत्र नियामक की स्थापना:** टैरिफ को विनियमित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई है।

रेलवे क्षेत्र के बारे में

- यात्री यातायात की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है।
- भारत की रेलवे प्रणाली विश्व में चौथी सबसे बड़ी है, तथा यह अमेरिका, रूस और चीन से ही पीछे है।
- भारतीय रेलवे की कुल लंबाई 126,366 किमी है और इसमें 7,335 स्टेशन हैं।
    - 2023-24 के दौरान 5100 किमी लम्बे ट्रैक का निर्माण किया।

रेलवे क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **पुराना बुनियादी ढांचा:** रेलवे का अधिकांश बुनियादी ढांचा, जिसमें पटरियां, स्टेशन एवं सिग्नलिंग प्रणालियां शामिल हैं, पुराना हो चुका है और दुर्घटनाओं का जोखिम बना रहता है।
- **वित्तीय स्थिरता:** भारतीय रेलवे उच्च परिचालन लागत और घटते माल ढुलाई राजस्व से ग्रस्त है, जिसके कारण वित्तीय तनाव उत्पन्न हो रहा है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ :** सुधारों के बावजूद, मानवीय भूल, पटरी से उतरना और टकराव के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाएँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

- **क्षमता संबंधी बाधाएँ :** उच्च घनत्व वाले मार्गों पर प्रायः भीड़भाड़ और देरी होती है, जिससे यात्री संतुष्टि प्रभावित होती है।
- **निजी भागीदारी का अभाव:** निजी खिलाड़ियों की सीमित भागीदारी निवेश और तकनीकी प्रगति को प्रतिबंधित करती है।

आगे की राह

- **आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** तकनीकी उन्नयन को अपनाने में तेजी लाना, जैसे कि AI-सक्षम निगरानी प्रणाली, हाई-स्पीड ट्रेनें और स्वचालित सिग्नलिंग।
- **वित्तीय पुनर्गठन:** क्रॉस-सब्सिडी मुद्दों का समाधान करना तथा माल ढुलाई गलियारों, पर्यटन ट्रेनों और परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व धाराओं में विविधता लाना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** बुनियादी ढांचे के विकास, रोलिंग स्टॉक और परिचालन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल नीति ढांचा विकसित करना।
- **क्षमता विस्तार:** बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उच्च घनत्व वाले मार्गों पर क्षमता बढ़ाना और समर्पित माल ढुलाई गलियारे विकसित करना।

निष्कर्ष

- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को एक आधुनिक, कुशल और प्रतिस्पर्धी परिवहन प्रणाली में परिवर्तन है।
- शासन, सुरक्षा और निजी भागीदारी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करके यह विधेयक रेलवे क्षेत्र को सतत और भविष्य के लिए तैयार बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

Source: TH

ई-कोर्ट्स/न्यायलय(eCourts) मिशन मोड परियोजना

समाचार में

- विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ई-कोर्ट/न्यायलय मिशन मोड परियोजना के क्रियान्वयन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका के अंदर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना को आगे बढ़ाना है।

ई-कोर्ट्स/न्यायलय(eCourts) परियोजना के बारे में

- **संकल्पना:** 2005 में ई-कमेटी, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा।
- **प्रारंभ:** 2007 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के अंतर्गत।
- **उद्देश्य:** न्यायिक उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना।
  - न्याय तक पूर्वानुमानित एवं विश्वसनीय पहुंच प्रदान करना।
  - न्यायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना तथा सभी हितधारकों के लिए जवाबदेही में सुधार करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
- **ई-कोर्ट परियोजना के चरण:**
  - **चरण I (2007-2015):** न्यायालयों का बुनियादी कम्प्यूटरीकरण।
    - इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थापना।
    - मामला सूचना प्रणाली (CIS) का कार्यान्वयन।

- **चरण II (2015-2023):** जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में ICT सक्षमता।
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की शुरूआत।
  - ई-भुगतान गेटवे और प्रमाणित ऑनलाइन दस्तावेजों तक पहुंच जैसी नागरिक-केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ।
- **चरण III (2023-2027):** डिजिटल और कागज रहित न्यायालयों का विकास।
  - विरासत अभिलेखों और लंबित मामलों का डिजिटलीकरण।
  - अस्पतालों और जेलों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार।
  - डेटा प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

संभावित लाभ

- **दक्षता:** न्यायालयीन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, विलंब को कम करना, तथा मामला प्रबंधन में सुधार करना।
- **पारदर्शिता:** न्यायालय की जानकारी जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- **सुगम्यता:** सभी के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले या सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए।
- **कम लागत:** भौतिक कागजी कार्रवाई और यात्रा से जुड़ी लागत कम करना।
- **आधुनिकीकरण:** भारतीय न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करना तथा इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाना।

चुनौतियां

- **डिजिटल साक्षरता:** न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना।
- **डेटा सुरक्षा:** संवेदनशील न्यायालय डेटा को साइबर खतरों से बचाना।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में।

Source: AIR

आंतरिक नीतिगत बाधाएँ चीन-प्लस-वन(China-Plus-One) अवसर का लाभ उठाने में बाधा बन रही हैं

सन्दर्भ

- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य विकसित देशों की तरह चीन से निवेश के लिए खुला रहना चाहिए।

चीन-प्लस-वन रणनीति क्या है?

- चाइना-प्लस-वन रणनीति एक व्यवसाय विविधीकरण दृष्टिकोण को संदर्भित करती है, जहां कंपनियां निर्भरता कम करने और जोखिम कम करने के लिए विनिर्माण एवं सोर्सिंग कार्यों को चीन से बाहर ले जाती हैं।
  - भारत, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश इस परिवर्तन के प्रमुख दावेदार हैं।
- इससे बाजार विविधीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी जैसे लाभ मिलते हैं।

चीन-प्लस-वन में भारत की सीमित सफलता के लिए उत्तरदायी कारक

- **भूमि अधिग्रहण:** जटिल और समय लेने वाली भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएँ बहुराष्ट्रीय निवेश को हतोत्साहित करती हैं।
- **श्रम सुधार:** प्रगति के बावजूद, कठोर श्रम कानून विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और मापनीयता में बाधा डालते हैं।
- **विनियामक अड़चनें:** यद्यपि GST ने कराधान को सरल बना दिया है, लेकिन अत्यधिक अनुपालन आवश्यकताएँ और नौकरशाही देरी परिचालन लागत बढ़ा देती हैं।
- **सीमित मुक्त व्यापार समझौते (FTAs):** FTAs के प्रति भारत के सतर्क दृष्टिकोण ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इसकी भागीदारी को सीमित कर दिया है।
    - इसके विपरीत, वियतनाम जैसे देशों ने सक्रिय रूप से FTAs पर हस्ताक्षर किए, जिससे वैश्विक निवेशकों को सुगम व्यापार प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी टैरिफ की पेशकश की गई।

नीतिगत सिफारिशें

- **मुक्त व्यापार समझौते:** भारत को सीमा पार शुल्कों को कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहज भागीदारी की सुविधा के लिए अपने FTAs का विस्तार करना चाहिए।
- **चीनी निवेश को अपनाएँ :** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भी स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने का मजबूत मामला बनाया गया था।
- **भूमि एवं श्रम सुधार:** नीतियों को अधिक सुव्यवस्थित बनाने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चीन से स्थानांतरित होने के लिए आकर्षित होंगी।

निष्कर्ष

- नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए सस्ते श्रम, सरलीकृत कर संरचनाओं और सक्रिय व्यापार समझौतों का लाभ उठाया है।
- वर्तमान में भारत चीन-प्लस-वन रणनीति को अपनाने के महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है। इस क्षमता को साकार करने के लिए सक्रिय नीतिगत सुधार महत्वपूर्ण होंगे।

Source: IE

हीमोफीलिया के लिए समाधान प्रदान करने वाली नवीन जीन थेरेपी

समाचार में

- भारतीय वैज्ञानिकों ने गंभीर हीमोफीलिया ए(Hemophilia A) के उपचार के लिए जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हीमोफीलिया ए(Hemophilia A) एक दुर्लभ वंशानुगत रोग है, जो स्वतःस्फूर्त और संभावित रूप से घातक रक्तस्राव का कारण बनता है।

हीमोफीलिया ए (Hemophilia A) क्या है?

- फैक्टर VIII की अनुपस्थिति या शिथिलता के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है।
- गंभीर हीमोफीलिया ए रोगियों में थक्का बनाने वाले कारक का स्तर 1% से भी कम होता है, जिसके कारण बार-बार, स्वतःस्फूर्त रक्तस्राव होता है।

- भारत में हीमोफीलिया रोगियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, अनुमानतः 40,000-100,000 व्यक्ति इससे प्रभावित हैं।

पारंपरिक उपचार

- इसमें फैक्टर VIII या अन्य विकल्पों के बार-बार इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, जिससे यह महंगा और बोझिल हो जाता है।
- **अनुमानित लागत:** भारत में 10 वर्षों में प्रति मरीज ₹2.54 करोड़ ($300,000)।

जीन थेरेपी एक बार के समाधान के रूप में

- शरीर में एक चिकित्सीय जीन प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे रक्तस्राव को रोकने के लिए फैक्टर VIII का पर्याप्त स्तर उत्पन्न हो जाता है।
- CMC वेल्लोर परीक्षण में रोगी की स्टेम कोशिकाओं में थक्का बनाने वाले कारक जीन को एकीकृत करने के लिए लेन्टिवायरस(lentivirus) वेक्टर का उपयोग किया गया, जिससे एडेनोवायरस वेक्टर के उपयोग से बचा जा सका, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है।
    - लेन्टिवायरस(lentivirus) एक प्रकार का वायरल वेक्टर है जो मेजबान कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री स्थानांतरित करने में सक्षम है।

पहुंच और सामर्थ्य

- भारत में जीन थेरेपी विकसित करने से स्थानीय विनिर्माण की संभावना प्रशस्त होती है, जिससे लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है तथा भारत और अन्य विकासशील देशों के रोगियों के लिए उपचार अधिक सुलभ हो सकता है।

जीन थेरेपी

- **परिभाषा:** एक चिकित्सा तकनीक जो रोगों के उपचार, रोकथाम या उपचार के लिए जीन का उपयोग करती है:
    - दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करना।
    - हानिकारक जीन को निष्क्रिय करना।
    - स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिए नए जीन का परिचय।
- **प्रयुक्त विधियाँ:**
    - **प्लास्मिड DNA:** चिकित्सीय जीन ले जाने के लिए निर्मित गोलाकार DNA अणु।
    - **मानव जीन संपादन:** सटीक जीन संशोधन के लिए CRISPR जैसे उपकरण।
- **जीन थेरेपी के प्रकार:**
    - **जर्मलाइन जीन थेरेपी:** कार्यात्मक जीन को पेश करने के लिए जर्म कोशिकाओं (शुक्राणु या अंडाणु) को लक्ष्य बनाया जाता है। परिवर्तन वंशानुगत होते हैं।
    - **सोमैटिक सेल जीन थेरेपी:** चिकित्सीय जीन को सोमैटिक कोशिकाओं (गैर-जर्मलाइन कोशिकाओं) में स्थानांतरित करता है। परिवर्तन संतानों तक नहीं पहुंचते।
- **अनुप्रयोग:**
    - **वंशानुगत विकार:** सिकल सेल रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस।
    - **उपार्जित विकार:** कैंसर, ल्यूकेमिया।

Source: TH

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

सन्दर्भ

- लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

परिचय

- यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
- DM अधिनियम में कहा गया है:
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA),
  - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA),
  - और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- ये प्राधिकरण क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी:** विधेयक में प्रावधान है कि NDMA और SDMA आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करेंगे, जिन्हें पहले राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समिति द्वारा तैयार किया जाता था।
- **NDMA और SDMA के कार्य:** विधेयक में निम्नलिखित कार्य जोड़े गए हैं:
  - चरम जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों सहित आपदा जोखिमों का समय-समय पर समीक्षा करना,
  - अपने नीचे के प्राधिकारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना,
  - राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करना,
  - और क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस तैयार करना।
- विधेयक NDMA को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिनियम के तहत विनियमन बनाने का अधिकार भी देता है।
- **आपदा डेटाबेस:** विधेयक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस के निर्माण का अधिदेश देता है।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** विधेयक राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन:** विधेयक राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के गठन का अधिकार देता है। राज्य सरकार SDRF के कार्यों को परिभाषित करेगी और इसके सदस्यों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करेगी।
- **वर्तमान समितियों को वैधानिक दर्जा:** विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC) जैसी वर्तमान संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
  - NCMC गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।
  - उच्च स्तरीय समिति आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
- **NDMA में नियुक्तियां:** विधेयक NDMA को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। NDMA आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है।

विपक्ष की चिंताएँ :

- कई विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि ये संशोधन सत्ता को केंद्रीकृत कर सकते हैं तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकते हैं।
- कुछ सदस्यों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों, रोकथाम उपायों और वित्तीय सहायता पर अधिक ध्यान देने का भी आह्वान किया।

निष्कर्ष

- विपक्ष की चिंताओं के बावजूद विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया।
- अब इसे आगे विचार के लिए राज्य सभा को भेजा जाएगा।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

निर्देशक की कमीशनिंग/जलावतरण

सन्दर्भ

- भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक का जलावतरण करने के लिए तैयार है।

परिचय

- निर्देशक सर्वेक्षण पोत (बड़े) परियोजना का दूसरा जहाज है और इसे GRSE कोलकाता में बनाया गया है।
- **उद्देश्य:** इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **डिज़ाइन:** लगभग 3800 टन विस्थापन वाला 110 मीटर लंबा जहाज दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित है और अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक एवं समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है।
    - जहाज समुद्र में 25 दिनों से अधिक समय तक रह सकता है और इसकी अधिकतम गति 18 समुद्री मील से अधिक है।

Source: PIB

EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क

सन्दर्भ

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र के डॉ. प्रेम कौशल और डॉ. राजेंद्र मोतियानी को यूरोपीय आणविक जीवविज्ञान संगठन (EMBO) ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के लिए चुना गया है।

परिचय

- EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क चिली, भारत, सिंगापुर और ताइवान में युवा समूह नेताओं का समर्थन करता है।
    - समूह के नेता अपनी स्वतंत्र प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के शुरुआती चरण में हैं।
- नए EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर को चार वर्ष के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB)

- RCB की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी यूनेस्को के कार्यक्रमों के साथ श्रेणी II केंद्र के रूप में सामंजस्य बिठाती है।
- इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना और कई विषयों के इंटरफेस पर अभिनव अनुसंधान करना है।
- 2016 में, RCB को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी।

Source: PIB

समुद्री संसाधनों पर मछुआरों के अधिकार

सन्दर्भ

- सभी तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रादेशिक जल के 12 समुद्री मील के अंदर मछली पकड़ने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही अपने समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम (MFRAs)/समुद्री मत्स्य पालन विनियम लागू कर दिए हैं।

परिचय

- तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इन MFRA के माध्यम से केवल गैर-मोटर चालित और मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उपयोग करके पारंपरिक मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए आरक्षित क्षेत्रों को चिह्नित किया है।
- मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है।
- **राज्यों द्वारा आरक्षित क्षेत्र:**
  - गुजरात ने तट से 9 समुद्री मील तक का क्षेत्र आरक्षित किया है,
  - गोवा ने 2.7 समुद्री मील तक का क्षेत्र आरक्षित किया है;
  - कर्नाटक ने 3.23 समुद्री मील तक का क्षेत्र आरक्षित किया है;
  - तमिलनाडु और ओडिशा ने 5 समुद्री मील तक का क्षेत्र आरक्षित किया है;
  - और आंध्र प्रदेश ने 4.3 समुद्री मील तक का क्षेत्र आरक्षित किया है।

Source: PIB

राजमार्ग साथी

सन्दर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'राजमार्ग साथी' नामक नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों (RPVs) के विनिर्देशों को अद्यतन किया है।

परिचय

- आपातकालीन स्थितियों की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए RPVs राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का निरीक्षण करते हैं।
- **राजमार्ग साथी:**
  - इसमें दरारें और गड्ढों को पता लगाने और पहचानने के लिए 'AI वीडियो एनालिटिक्स' से लैस डैशबोर्ड कैमरा का प्रावधान है।
  - NHAI द्वारा साप्ताहिक आधार पर डेटा/वीडियो फुटेज एकत्र किया जाएगा और सड़कों के अधिक कुशल रखरखाव के लिए NHAI वन एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया जाएगा।

- उन्नत संचार एवं सुरक्षा उपकरणों से लैस ये वाहन यातायात व्यवधानों को कम करने, सड़क सुरक्षा में सुधार करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र सड़क उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने में उपयोगी होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

- इसका गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में किया गया था।
- NHAI की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में की गई है।
- हालाँकि, यह प्राधिकरण 1995 में चालू हुआ।

Source: PIB

दुर्गाडी किला (Durgadi Fort)

सन्दर्भ

- कल्याण की एक सिविल न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और दुर्गाडी किले के विवादित स्थल पर मुस्लिम समुदाय के दावे को खारिज कर दिया।

परिचय

- दुर्गाडी किला महाराष्ट्र राज्य के कल्याण के पास दुर्गाडी शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है।
- यह उल्हास नदी के तट पर स्थित है।
- यह किला 15वीं शताब्दी का है और इसे मूल रूप से आदिल शाही सल्तनत द्वारा बनाया गया था और बाद में मराठों द्वारा संशोधित किया गया था।
- समय के साथ, यह मुगलों और मराठों सहित विभिन्न शासकों के नियंत्रण में आ गया।
- 18वीं शताब्दी में, किला क्षेत्र में मराठा रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
- किला अपने रणनीतिक स्थान और क्षेत्र की रक्षा में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है।

Source: IE

आर्कटिक में पहला बर्फ रहित दिन: अध्ययन

सन्दर्भ

- एक नए अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक महासागर में वर्ष 2030 तक, या पहले की अपेक्षा भी पहले, पहली बार बर्फ रहित दिन देखने को मिल सकता है - जब इसके जल में दस लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम समुद्री बर्फ होगी।

अध्ययन के बारे में

- 'आर्कटिक महासागर में पहला बर्फ रहित दिन 2030 से पहले हो सकता है' नामक अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
- प्रमुख भविष्यवाणियाँ:
  - आर्कटिक में पहला बर्फ रहित दिन सात से 20 वर्षों के अंदर देखा जाएगा, भले ही मनुष्य अगले वर्षों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती करें।
  - बर्फ रहित अवधि 11 से 53 दिनों के बीच रह सकती है। इसका तात्पर्य है कि आर्कटिक में पहला बर्फ रहित महीना भी देखा जा सकता है।

आर्कटिक महासागर में बर्फ का महत्व

- बर्फ समुद्र एवं हवा के तापमान को नियंत्रित करने, समुद्री आवासों को सहारा देने और समुद्री धाराओं को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो विश्व भर में गर्मी और पोषक तत्वों को वितरित करती हैं।
- समुद्री बर्फ सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, इस प्रक्रिया को अल्बेडो प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
    - जैसे-जैसे बर्फ पिघलती है, यह गहरे पानी को उजागर करती है, जो अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे क्षेत्र में गर्मी और बढ़ जाती है।

आर्कटिक महासागर

- यह विश्व के पाँच महासागर बेसिनों (प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर के बाद) में सबसे छोटा है। यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है।
- यूरेशिया (यूरोप और एशिया), उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के भूभाग महासागर को घेरे हुए हैं।

Source: IE

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI)

सन्दर्भ

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) और उसके संबद्ध निकायों के विरुद्ध आदेश पारित किया।

परिचय

- TT फ्रेंडली सुपर लीग एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि TTFI और उसके सहयोगी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं।
- आयोग ने पाया कि TTFI और उसके सहयोगियों ने टेबल टेनिस टूर्नामेंटों को प्रतिबंधित करके और खिलाड़ियों को व्हाट्सएप परामर्श, सार्वजनिक नोटिस और प्रतिस्पर्धा-विरोधी उप-नियमों के माध्यम से भाग लेने से रोककर अधिनियम का उल्लंघन किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा 2009 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम दो एवं अधिकतम छह अन्य सदस्य होते हैं।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करता है:
    - प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना,
    - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना,
    - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक मजबूत प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना।

Source: PIB

स्पोर्ट्सवाशिंग(Sportswashing)

सन्दर्भ

- एकमात्र बोलीदाता सऊदी अरब ने 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इससे स्पोर्ट्सवॉशिंग को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न हो गई हैं।

स्पोर्ट्सवॉशिंग क्या है?

- यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग राष्ट्रों, व्यक्तियों, समूहों या निगमों द्वारा खेलों का उपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए किया जाता है, जो कदाचार या विवाद से क्षतिग्रस्त हो गई है।
- यह खेल आयोजनों की मेजबानी, खेल टीमों को खरीदने या प्रायोजित करने या किसी खेल में भाग लेने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- स्पोर्ट्सवॉशिंग के उदाहरणों में शामिल हैं:
  - **1936 बर्लिन ओलंपिक:** हिटलर ने ओलंपिक का उपयोग जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए किया।
  - **1978 फीफा विश्व कप:** अर्जेंटीना ने विश्व कप की मेजबानी की और जीता, जबकि इसके सैन्य जुंटा ने असंतुष्टों को विमानों से बाहर कर दिया।
  - 2022 शीतकालीन ओलंपिक चीन में और 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- ग्रीनवाशिंग का तात्पर्य आम जनता को यह विश्वास दिलाकर गुमराह करना है कि कंपनियाँ, संप्रभु या नागरिक प्रशासक पर्यावरण के लिए जितना कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक कर रहे हैं।
- इसमें किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण के अनुकूल या कम हानिकारक दिखाना शामिल हो सकता है।

Source: TH

■■■■